

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या- 73/2024-25

कुंती देवी

-बनाम्-

मनोज केवट

-:: आदेश ::-

17.06.2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका कुंती देवी पति श्याम सुंदर प्रसाद, ग्राम- साड़म (बाजार टांड), पो0- साड़म, थाना- गोमिया, जिला- बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा- होसिर अंतर्गत खाता सं0- 425, प्लॉट सं0- 1635, रकवा- 08 डी0 मध्ये बिक्री रकवा- 3¼ डी0 पुष्पा देवी पति अजय प्रसाद, ग्राम+पो0- होसिर, थाना- गोमिया, जिला- बोकारो से जमीन खरीदगी है। उक्त जमीन का दाखिल-खारिज एवं रसीद मालगुजारी हाल 2024-25 तक उनके पिता के नाम से निर्गत किया जा चुका है। उसी भूमि पर मनोज केवट पिता गणेश केवट, ग्राम- होसिर, तैतरियाटांड, थाना- गोमिया, जिला- बोकारो द्वारा चाहरदिवारी निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। अतः उनके द्वारा जाँचोपरान्त प्रश्नगत जमीन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

विपक्षी के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कहा गया कि विवादित भूमि मौजा होसिर खाता सं0- 425, प्लॉट सं0- 1635 रकवा 08 डी0 विना देवी पति स्व0 भुनेश्वर केवट जो द्वितीय पक्ष के रिस्ते मामी है, उनके नाम से खरीदगी है। जिसे द्वितीय पक्ष के मामी देवी लाल प्रसाद पिता श्री मोती लाल प्रसाद से खरीदगी किए है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ है तथा उसमें निवास कर रहे है। प्रथम पक्ष उसी खाते के प्लॉट सं0-1635 में 03 डी0 भूमि खरीदगी अपने पति अजय कुमार प्रसाद से खरीदगी किए है। जो प्रथम पक्ष के माँ के नाम से भूमि है। प्रथम पक्ष को चाहिए था कि वह अपने

सास से केवाला करवाते क्योंकि अभी वह जीवित है तथा भूमि का असली वह सही हकदार है। इसलिए प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया उक्त वाद खारिज करने लायक है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा खरीदगी भूमि 03 डी0 है। किन्तु प्रथम पक्ष 3¼ डी0 भूमि पर मापी करवा कर जबरन चाहरदिवारी का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए इनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त विवादित भूमि को लेकर गाँव के स्थानीय लोगों व होसिर पंचायत पूर्वी के मुखिया सावित्री देवी तथा पंचायत समिति सदस्य गीता देवी की उपस्थिति में एक बैठक रखी गई तथा दोनों पक्षों को सुनकर एक पंचनामा समझौतानामा बनाया है जिसमें द्वितीय पक्ष के मकान के आगे भाग में 1½ डी0 भूमि होगा तथा 1½ डी0 भूमि प्रथम पक्ष, पिछे के भाग को रखेगी। जिस पर निर्णय के बाद भी प्रथम पक्ष समझौता को नहीं मानकर जबरन द्वितीय पक्ष की खरीदगी भूमि के 1½ डी0 भूमि पर घुसकर चाहरदिवारी बनाना चाहती है।

इस संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि गत सर्वे में रैयती खाता के अंतर्गत मौजा— होसिर, थाना सं0— 123 के खाता सं0— 425, प्लॉट सं0— 1635, कुल रकवा— 42 डी0 धान खेत, हराधान हजाम वल्द शमोच हजाम, कौम हजाम के नाम पर दर्ज है। आवेदिका की जमाबंदी पंजी—2 के 93/32 पर केवाला सं0— 1645, दिनांक— 18.09.2024, नामांतरण वाद सं0 443/2024—25 के आधार पर कायम है। ऑन लाईन पंजी— 2 के अनुसार प्लॉट सं0— 1635 से संबंधित जमाबंदी, आपत्तिकर्ता के नाम पर दर्ज नहीं है।

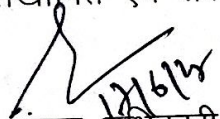
दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा— होसिर अंतर्गत खाता सं0— 425, प्लॉट सं0— 1635, रकवा— 08 डी0 मध्ये बिक्री रकवा— 3¼ डी0 भूमि रैयती खाते की है और आवेदिका की खरीदगी भूमि है तथा उनके पक्ष में जमाबंदी पंजी— 2 के 93/32 पर केवाला सं0—1645, दिनांक—18.09.2024,

नामांतरण वाद सं० 443/2024-25 के आधार पर कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिए गए लिखित जबाब का कोई ठोस आधार नहीं है। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऑन लाईन पंजी- 2 के अनुसार प्लॉट सं०-1635 से संबंधित जमाबंदी, आपत्तिकर्ता के नाम पर दर्ज नहीं है। स्पष्टतः प्रतिवादी के द्वारा जान-बूझकर आवेदिका को परेशान किया जा रहा है।

वर्णित परिस्थिति में प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर वेबजह आवेदिका को परेशान न करें। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि यह मामला उनके अपने हक एवं अधिकार तथा गलत निबंधन को लेकर है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी
गोमिया।


अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थान:- गोमिया।

दिनांक:- 17.06.2025